इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 फरवरी 2013—माघ 25, शक 1934

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. एफ 1-1-2012-तेरह.—यत:, राज्य शासन की राय है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4328-तेरह-2006, दिनांक 12 जुलाई 2006 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पूंजी निवेश की औद्योगिक परियोजनाओं के केप्टिव पॉवर संयंत्रों से उत्पादित विद्युत् ऊर्जा को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

1. यह छूट केवल स्वयं के उपयोग के लिये विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन पर उपलब्ध होगी.

2. कैप्टिव पॉवर संयंत्र की संस्थापना के पश्चात् 25 करोड़ रुपये से अधिक स्थायी पूंजी निवेश की औद्योगिक परियोजनाएं, विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये संबंधित विद्युत् निरीक्षक से पात्रता का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेंगी तथा केवल ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर ही छूट के लिये हकदार होंगी.

3. यह छूट ऊपर किसी ऐसे कैप्टिव पॉवर संयंत्र को उपलब्ध नहीं होगी जो पुराने कैप्टिव पॉवर संयंत्र के स्थान पर संस्थापित किया गया हो.

4. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 569-तेरह-2004, दिनांक 29 सितम्बर 2004 द्वारा कैप्टिव पॉवर संयंत्र को विद्युत् शुल्क से दी गई छूट, 25 करोड़ रुपये से अधिक स्थायी पूंजी निवेश की औद्योगिक परियोजना को उपलब्ध नहीं होगी;

5. औद्योगिक परियोजनाओं को विद्युत् शुल्क में छूट केवल तब ही अनुज्ञात की जाएगी जब वे 25 करोड़ रुपये से अधिक के स्थायी पूंजी निवेश पूर्ण कर दें और औद्योगिक समूह की दशा में, जब वे रुपये 20 हजार करोड़ से अधिक की स्थायी पूंजी निवेश पूर्ण कर दें तथा मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग से ऐसे विनिधान (इनवेस्टमेंट) के पूर्ण हो जाने का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त कर लेंगे. विद्युत् शुल्क से छूट का दावा करने के लिए उन्हें संबंधित विद्युत् निरीक्षक को ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :—

क्रमांक	स्थायी पूंजी निवेश	विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट की कालावधि
(1)	(2)	(3)
1.	रुपये 25 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ तक	पॉवर जनरेटिंग संयंत्र से विद्युत् ऊर्जा के परीक्षण उत्पादन तारीख के 180 दिन से या वह तारीख जिस पर पॉवर जनरेटिंग संयंत्र सामान्य दर पर पूर्ण उत्पादन क्षमता (नार्मल रेटेड फुल लोड आउटपुट केपेसिटी) प्राप्त करता है, जो भी पूर्वतर हो, पांच वर्ष.
2.	रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ तक	पॉवर जनरेटिंग संयंत्र से विद्युत् ऊर्जा के परीक्षण उत्पादन तारीख के 180 दिन से या वह तारीख जिस पर पॉवर जनरेटिंग संयंत्र सामान्य दर पर पूर्ण उत्पादन क्षमता (नार्मल रेटेड फुल लोड आउटपुट केपेसिटी) प्राप्त करता है, जो भी पूर्वतर हो, सात वर्ष.
3.	रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 20,000 करोड़ से कम	पॉवर जनरेटिंग संयंत्र से विद्युत् ऊर्जा के परीक्षण उत्पादन तारीख के 180 दिन से या वह तारीख जिस पर पॉवर जनरेटिंग संयंत्र सामान्य दर पर पूर्ण उत्पादन क्षमता (नार्मल रेटेड फुल लोड आउटपुट केपेसिटी) प्राप्त करता है, जो भी पूर्वतर हो, दस वर्ष.
4.	कोई औद्योगिक समूह रुपये 20,000 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50,000 करोड़ तक निवेश करता है (समूह-1).	पॉवर जनरेटिंग संयंत्र से विद्युत् ऊर्जा के परीक्षण उत्पादन तारीख के 180 दिन से या वह तारीख जिस पर पॉवर जनरेटिंग संयंत्र सामान्य दर पर पूर्ण उत्पादन क्षमता (नार्मल रेटेड फुल लोड आउटपुट केपेसिटी) प्राप्त करता है, जो भी पूर्वतर हो, बारह वर्ष.
5.	कोई औद्योगिक समूह रुपये 50,000 करोड़ से अधिक निवेश करता है (समूह-2).	पॉवर जनरेटिंग संयंत्र से विद्युत् ऊर्जा के परीक्षण उत्पादन तारीख के 180 दिन से या वह तारीख जिस पर पॉवर जनरेटिंग संयंत्र सामान्य दर पर पूर्ण उत्पादन क्षमता (नार्मल रेटेड फुल लोड आउटपुट केपेसिटी) प्राप्त करता है, जो भी पूर्वतर हो, चौदह वर्ष.

परन्तु, मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा "मेगा इन्वेस्टमेंट पैकेज, 2012" में परिभाषा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट "औद्योगिक समूह" के समूह इस छूट के लिए पात्र होंगे :

परन्तु यह और कि उन उद्योगों को, विद्युत् शुल्क के भुगतान से प्राप्त होने वाली छूट का लाभ, उक्त निरसित अधिसूचना क्रमांक 4328-तेरह-2006, दिनांक 12 जुलाई 2006 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट जारी रहेगी.

No. F 1-01-2012-XIII.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that in order to encourage the establishment of Industries in the State, it is necessary and expedient, so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinium, 2012 (No. 17 of 2012) and in supersession of this Department's notification number 4328-XIII-2006, dated 12th July 2006, the State Government, hereby, exempts the electrical energy produced by the Captive Power Plants of the industrial projects investing capital as specified in column (2) of the Schedule below, from the payment of electricity duty for a period as specified in column (3) of the said Schedule, subject to the following conditions, namey :—

(1) This exemption shall be available on the generation of electrical energy only for self consumption.

(2) The industrial projects investing permanent capital of more than 25 crore, after installation of captive power plant, shall obtain a certificate of eligibility for exemption from payment of electricity duty from the Electrical Inspector concerned and shall be entitled for exemption only on the basis of such certificate.

(3) The exemption shall not be available to any captive power plant installed in replacement of old ones.

(4) The exepmtion given to the captive power plant *vide* this Department's notification No. 569-XIII-2004, dated 29th September 2004 shall not be available to the industrial project investing permanent capital of more than Rs. 25 crore.

(5) The industrial projects shall be allowed to avail exemption in electricity duty only when they complete an investment of permanent capital of more than 25 crore and in case of Industrial Group when they complete an investment of permanent capital of more than 20,000 crore and obtain a certificate regarding completion of such investment from Commerce, Industries and Employment Department, Government of Madhya Pradesh. They shall have to submit such certificate to concerned Electrical Inspector for claiming exemption from electricity duty :—

SCHEDULE

S. No.	Quantum of Investment of permanent capital	Period of exemption from payment of electricity duty
(1)	(2)	(3)
1	More than Rs. 25 crore but up to Rs. 100 crore	Five years from 180 days of trial production date of electrical energy from power generating plant or the date on which power generating plant achieves normal rated full load output capacity, which ever is earlier.
2	More than Rs. 100 crore but up to Rs. 500 crore	Seven years from 180 days of trial production date of electrical energy from power generating plant or the date on which power generating plant achieves normal rated full load output capacity, which ever is earlier.
3	More than Rs. 500 crore but less then Rs. 20,000 crore	Ten years from 180 days of trial production date of electrical energy from power generating plant or the date on which power generating plant achieves normal rated full load output capacity, which ever is earlier.

(1)	(2)	(3)
4	Any of Industrial Group Invested more than Rs. 20,000 crore but up to Rs. 50,000 Crore (Group-1).	Twelve years from 180 days of trial production date of electrical energy from power generating plant or the date on which power generating plant achieves normal rated full load output capacity, which ever is earlier.
5	Any Industrial Group Invested more than Rs. 50,000 crore (Group-2).	Fourteen years from 180 days of trial production date of electrical energy from power generating plant or the date on which power generating plant achieves normal rated full load output capacity, which ever is earlier.

Provided that, the "Industrial Group" will have the same meaning as defined by Commerce, Industries and Employment Department of Government of Madhya Pradesh, under definition in "Mega Investment Paikage, 2012":

Further provided that, Industeies getting the benefit of exemption from payment of electricity duty, under repealed notification No. 4328-XIII-2006, dated 12th July 2006 shall continued to get such exemption till the completion of period specified in column (3) of the said notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.